राजेश्वर महतो

बनाम

आलोक कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक, मेसर्स बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड

23 फरवरी 2018

[न्यायमूर्तिगण आर0 के0 अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 – धारा 17–बी – आदेश के अन्तर्गत – प्रवर्तन – दिनांक 01.09.1985 के आदेश द्वारा नियोक्ता–निगम द्वारा आवेदक–कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया – आवेदक ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक औद्योगिक विवाद उठाया, जिसने संदर्भ के पक्ष में उत्तर दिया कि आवेदक "कार्यकर्ता" अभिव्यक्ति के अर्थ में एक निगम का श्रमिक नहीं था – आवेदक द्वारा दायर रिट याचिका, अनुमति दी गई – खण्ड पीठ ने निगम द्वारा एलपीए को खारिज कर दिया – निगम द्वारा दायर एसएलपी – अंतरिम आदेश दिनांक 04.05.1999 के – धारा 17–बी अन्तर्गत पारित किया गया – निगम को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवेदक को अंतिम बार दिनांक 01.09.1985 को ली गई पूरी मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें उसे स्वीकार्य पोषण भत्ता भी शामिल था – आदेश दिनांक 31.10.2000 द्वारा एसएलपी की अनुमति दी गई थी – आवेदक द्वारा दायर वर्तमान अवमानना याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि अंतरिम आदेश दिनांक 04.05.1999 का निगम द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है – प्रतिपादित किया गया: उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2000 के आदेश के अन्तर्गत निगम की अपील की अनुमति के बावजूद, उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 04.05.1999 विधिक बना हुआ है और वैध तथा स्वतंत्र प्रकृति का होने के कारण, इसे आवेदक–कर्मचारी के पक्ष में प्रभावी किया जाना चाहिए, यदि नियोक्ता–निगम द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता है – धारा 17–बी के अन्तर्गत पारित आदेश का विलय है अपील में पारित अंतिम आदेश में विलय नहीं होता और एक स्वतंत्र आदेश होने के कारण, यह प्रवर्तन के लिए जीवित रहता है – आवेदक दिनांक 04.05.1999 के आदेश के अनुसार पूर्ण और अंतिम निपटान में अपने सभी दावों के लिए 7,50,000/– रुपये का दावा करने का हकदार माना जाता है – अवमानना न्यायालय अधिनियम, 1971.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 – धारा 17–बी – उद्देश्य और दायरा – विवेचना।

न्यायालय ने अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए

प्रतिपादित किया: 1.1 इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2000 के आदेश द्वारा निगम द्वारा दायर अपील की अनुमति के बावजूद, जहां तक उपरोक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 04.05.1999 का संबंध है, यह विधिक और वैध है और प्रकृति में स्वतंत्र है। यदि नियोक्ता (निगम) द्वारा अनुपालन नहीं पाया जाता है, तो इसे आवेदक (कर्मचारी) के पक्ष में लागू किया जाना चाहिए । [पैरा 19] [535–सी]

देना बैंक बनाम किरीटीकुमार टी पटेल (1999) 2 एससीसी 106: [1997] 5 सप्ल। एससीआर 263 – पर भरोसा किया गया।

1.2. भले ही नियोक्ता अंततः अपने कर्मचारी के विरुद्ध अपनी अपील में सफल हो जाता है, जिसमें नियोक्ता की अपील के लंबित रहने के दौरान ऐसा आदेश पारित किया गया था, नियोक्ता औद्योगिक धारा 17–बी के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेश का पालन करने के लिए विधिक दायित्व के अन्तर्गत बना रहेगा। कर्मचारी के पक्ष में विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17–बी के अन्तर्गत पारित आदेश अपील में पारित अंतिम आदेश के साथ विलय नहीं होता है और एक स्वतंत्र आदेश होने के कारण, यह प्रवर्तन के लिए जीवित रहता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि निगम ने अभी तक दिनांक 04.05.1999 के आदेश का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया है। [पैरा 20,21] [535–डीई]

1.3 मामले की जांच विवाद की प्रकृति, मामले की लंबी अवधि की लंबितता, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की प्रकृति, निपटान के लिए निगम द्वारा की गई पेशकश और आवेदक को विभिन्न मदों के अन्तर्गत देय राशि आदि को ध्यान में रखते हुए की गई है। दिनांक 04.05.1999 के आदेश के अनुसार आवेदक को देय विभिन्न मदों के अन्तर्गत गणना की गई है , जैसे मासिक वेतन, उसका बकाया, अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी, बोनस, ब्याज, यदि देय हो, तो संपूर्ण राशि पर उचित दर पर 04.05.1999 से की गई है। मामले की जांच करने और उपरोक्त कई प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद, आवेदक को निगम से अपने रोजगार विवाद से उत्पन्न होने वाले पूर्ण एवं अंतिम निपटान निगम से एवं सभी दावों के लिए कुल 7,50,000/– रुपये का दावा करने का हकदार प्रतिपादित किया गया है । [पैरा 22–24] [535–एफएच; 536–ए]

1.4 बार में कहा गया है कि आवेदक निगम क्वार्टर पर काबिज है, जो उसे उसके रोजगार के आधार पर आवंटित किया गया था। यदि ऐसा है, तो आवेदक बाहरी सीमा के रूप में इस आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर क्वार्टर खाली कर देगा। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवेदक द्वारा क्वार्टर खाली करने पर, निगम तदनुसार आवेदक को 7,50,000/– रुपये का भुगतान करेगा। [पैरा 26, 27] [536–बीडी]

देना बैंक बनाम घनश्याम [2001] 3 एससीआर 591: (2001) 5 एससीसी 169 – संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ – [1997] 5 सप्ल एससीआर 263 पैरा 17 पर निर्भर है [2001] 3 एससीआर 591 – संदर्भित – पैरा 18

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2017 की विविध आवेदन संख्या 711, 2018 की अवमानना याचिका संख्या 785 और 1998 की सिविल अपील संख्या 4482।

1996 की अपील संख्या एफएमएटी संख्या 2186 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 23.02.1998 से।

बी भट्टाचार्य, अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता।

उत्तरदाता के अधिवक्ता राकेश सिन्हा, पवन कुमार बंसल, टी महिपाल।

राजेश्वर महतो (व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता)

न्यायालय का निर्णय, अभय मनोहर सप्रे, जे. द्वारा उदघोषित किया गया।

1. यह अवमानना याचिका दो आदेशों से उत्पन्न हुई है, एक दिनांक 04.05.1999 और अंतिम आदेश दिनांक 31.10.2000 जो इस न्यायालय (तीन न्यायाधीशों की पीठ) द्वारा 1998 की सिविल अपील संख्या 4482 में पारित किया गया था। यह आवेदन उत्तरदाता (कर्मचारी) द्वारा दायर किया गया है।

2. यहां आवेदक (कर्मचारी) – उपरोक्त अपील के उत्तरदाता की शिकायत की परिशीलन करने के लिए, सुसंगत तथ्यों को सामने रखना आवश्यक है जिसके कारण इस न्यायालय में सिविल अपील दायर की गई जिसने बाद में इस अवमानना याचिका को दाखिल करने को जन्म दिया।.

3. आवेदक "बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड" नामक एक लिमिटेड कंपनी का कर्मचारी था। (इसके बाद "निगम" के रूप में संदर्भित), जिसे बिड़ला समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहां उत्तरदाता निगम का महाप्रबंधक है। आवेदक की नियुक्ति दिनांक 04.12.1974 को हुई थी। हालाँकि, निगम द्वारा दिनांक 01.09.1985 के आदेश द्वारा आवेदक की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। समाप्ति की तिथि पर, आवेदक का अंतिम आहरित वेतन 1185/– रुपये था।

4. आवेदक ने अपनी समाप्ति से व्यथित महसूस किया और अपने समाप्ति आदेश की वैधता और उचितता का निर्णय लेने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक औद्योगिक विवाद उठाया।

5. पंचाट दिनांक 22.11.1991 द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण ने निगम के पक्ष में संदर्भ का उत्तर दिया । यह प्रतिपादित किया गया कि आवेदक अधिनियम की धारा 2 (एस) में परिभाषित अभिव्यक्ति "कर्मचारी" के अर्थ में एक कर्मकार नहीं था और इसलिए, सरकारी आदेश जिसके द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भ दिया गया था, बनाए रखने योग्य नहीं है।

6. आवेदक पीड़ित हुआ और उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आदेश 22.03.1996 द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट को अपास्त करते हुए कहा कि आवेदक श्रमिक था और इसलिए, सरकार सही थी और उसके पास औद्योगिक न्यायाधिकरण का संदर्भ बनाने हेतु शक्ति थी। इसलिए, एकल न्यायाधीश ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को अपास्त कर दिया।

7. निगम ने व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष एक इंट्रा न्यायालय अपील दायर की। आदेश दिनांक 31.03.1998 द्वारा, खण्ड पीठ ने अपील को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा, जिससे निगम द्वारा एसएलपी (सी) संख्या 8518/1998 के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का मौका मिला। इस न्यायालय ने अनुमति दे दी और तदनुसार इसे 1998 की सिविल अपील संख्या 4482 के रूप में पंजीकृत किया गया।

8. आदेश दिनांक 31.10.2000 द्वारा, इस न्यायालय ने निगम की अपील को स्वीकार कर लिया और खण्ड पीठ और एकल पीठ के आदेशों को अपास्त करते हुए आवेदक द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को बरकरार रखा गया कि आवेदक एक श्रमिक नहीं था।

9. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि इस न्यायालय में निगम की सिविल अपील के लंबित रहने के दौरान, निगम ने खण्ड पीठ के आक्षेपित आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी।

10. इस न्यायालय ने, दिनांक 04.05.1999 के अंतरिम आदेश द्वारा, निगम को निर्देश दिया कि वह आवेदक को 01.09.1985 को अंतिम बार ली गई पूरी मजदूरी का भुगतान करे, जिसमें आवेदक द्वारा इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत करने पर कि उसने कहीं और लाभकारी ढंग से नौकरी नहीं की थी नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य रखरखाव भत्ता भी शामिल हो । निगम को अपील के अंतिम निपटान तक 01.05.1998 से प्रभावी अंतिम आहरित पूर्ण वेतन की उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। निगम को चार सप्ताह के भीतर बकाया राशि और प्रत्येक अगले महीने की 7 तारीख तक भविष्य की मासिक परिलब्धियों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

11. इसी तरह, 31.10.2000 को अंततः निगम की अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने निगम द्वारा किए गए एक प्रस्ताव को दर्ज किया कि अपील के परिणाम के बावजूद, निगम अभी भी आवेदक को 2 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। आवेदक के दावे की संतुष्टि के लिए पूर्ण और अंतिम निपटान की दिशा में, जो उन्होंने अपील के लंबित रहने के दौरान पहले पेश किया था (अंतिम आदेश दिनांक 31.10.2000 का अंतिम पैरा देखें)।

12. इन पृष्ठभूमि तथ्यों के साथ, आवेदक–कर्मचारी ने अवमानना याचिका दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि सिविल अपील संख्या 4482/1998 की लंबित अवधि के दौरान इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04.05.1999 का निगम द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2000 के आदेश द्वारा निगम के पक्ष में सिविल अपील के निपटान के बावजूद , जहां तक अधिनियम की धारा 17–बी के अन्तर्गत पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04.05.1999 का संबंध है, वही करना होगा ऐसे आदेश के अनुसार आवेदक को सभी मौद्रिक लाभों का भुगतान करके निगम द्वारा अनुपालन किया जाएगा। यह आरोप लगाया गया है कि चूंकि निगम ने दिनांक 04.05.1999 के आदेश के अनुसार आवेदक (कर्मचारी) को वास्तव में देय राशि की तुलना में बहुत कम राशि की पेशकश की थी, इसलिए आवेदक ने उसे दी गई राशि स्वीकार नहीं की।

13. निगम ने शपथ पत्र पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है. उन्होंने कुछ तकनीकी दलीलें पेश की हैं, लेकिन वास्तव में, उन्होंने स्वीकार किया है कि अब तक उन्होंने दिनांक 04.05.1999 के आदेश के अनुपालन में आवेदक को कोई राशि का भुगतान नहीं किया है। निगम द्वारा यह कहा गया है कि उन्होंने आवेदक को राशि की पेशकश की थी लेकिन उसने यह कहते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसे जो पेशकश की गई थी वह उसकी वास्तविक पात्रता की तुलना में कम थी।

14. उपरोक्त पृष्ठभूमि तथ्यों के साथ, यह सवाल उठता है कि क्या आवेदक (कर्मचारी) दिनांक 04.05.1999 के आदेश के अनुसार किसी भी मौद्रिक लाभ का दावा करने का हकदार है और यदि हां, तो कितना?

15. चूँकि आवेदक यहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहा था, हमने श्रीमान बी भट्टाचार्य , विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो आवेदक की ओर से उपस्थित होने और सहायता प्रदान करने के लिए न्यायालय में उपस्थित थे से अनुरोध किया । हमारे अनुरोध पर, श्री भट्टाचार्य उपस्थित हुए और

अपनी बहुमूल्य सहायता प्रदान की। हम उसके प्रति अपनी परिशीलन दर्ज करते हैं। उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश सिन्हा उपस्थित हुए।

16. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और मामले के अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, हम इस अवमानना याचिका का निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटारा करते हैं:

17. अधिनियम की धारा 17–बी के उद्देश्य और दायरे की जांच इस न्यायालय द्वारा देना बैंक बनाम किरीटीकुमार टी पटेल, (1999) 2 एससीसी 106 में की गई थी। इस न्यायालय ने पैरा 7 और 21 में इस प्रकार विचार किया:

"धारा 17–बी का उद्देश्य कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पंचाट के कार्यान्वयन में देरी के कारण श्रमिक को होने वाली कठिनाई से कुछ हद तक अनुतोष देना है, जिसमें उक्त पंचाट उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है या सर्वोच्च न्यायालय। नियोक्ता द्वारा श्रमिक को जो भुगतान करना आवश्यक है वह निर्वाह भत्ते की प्रकृति में है जो श्रमिक से वापस नहीं किया जाएगा या वसूली योग्य नहीं होगा, भले ही पंचाट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया हो, संसद ने ऐसा सोचा था इसे उस वेतन की सीमा तक सीमित करना उचित है जो श्रमिक द्वारा तब लिया गया था जब वह सेवा में था और जब उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं और इसलिए "अंतिम बार प्राप्त पूर्ण वेतन" शब्दों का उपयोग किया गया था। इन शब्दों को पढ़ने से तात्पर्य उस मजदूरी से है जो श्रमिक द्वारा तब ली जाती यदि वह सेवा में बना रहता, यदि उसकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश पारित नहीं हुआ होता क्योंकि इसे श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट द्वारा अपास्त कर दिया गया है, तो इसका परिणाम होगा लाभ को इतना बढ़ाने में कि जिस अनुतोष को चुनौती दी जा रही है, उसके अन्तर्गत दी गई अनुतोष को समझा जा सके। इसलिए, शब्द "अंतिम ली गई पूरी मज़दूरी" को उनका स्पष्ट और भौतिक अर्थ दिया जाना चाहिए और उन्हें विस्तारित अर्थ नहीं दिया जा सकता है।

18. विधि के उपरोक्त सिद्धांत को इस न्यायालय (तीन न्यायाधीशों की पीठ) ने देना बैंक बनाम घनश्याम, (2001) 5 एससीसी 169 (पैरा 9 और 10 देखें) में अनुमोदित किया था।

19. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के उपरोक्त सिद्धांत के आलोक में, कोई भी अब इससे उभरने वाले विधिक प्रस्ताव पर विवाद नहीं कर सकता है, भले ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2000 के आदेश द्वारा निगम द्वारा दायर अपील की अनुमति दी गई हो, जहां तक आदेश है दिनांक 04.05.1999 को पारित उपरोक्त अपील का संबंध है, यह विधिक और वैध है और प्रकृति में स्वतंत्र होने के कारण, नियोक्ता (निगम) द्वारा अनुपालन नहीं पाए जाने पर इसे आवेदक (कर्मचारी) के पक्ष में प्रभावी किया जाना है। ).

20. दूसरे शब्दों में, भले ही नियोक्ता अंततः अपने कर्मचारी के विरुद्ध अपनी अपील में सफल हो जाता है, जिसमें नियोक्ता की अपील के लंबित रहने के दौरान ऐसा आदेश पारित किया गया था, नियोक्ता अदालत द्वारा पारित ऐसे आदेश का पालन करने के लिए विधिक दायित्व के अन्तर्गत बना रहेगा। कर्मचारी के पक्ष में अधिनियम की धारा 17–बी । संक्षेप में कहें तो, अधिनियम की धारा 17–बी के अन्तर्गत पारित आदेश अपील में पारित अंतिम आदेश के साथ विलय नहीं होता है और एक स्वतंत्र आदेश होने के कारण, यह प्रवर्तन के लिए जीवित रहता है।

21. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि निगम ने अभी तक दिनांक 04.05.1999 के आदेश का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया है।

22. हमने विवाद की प्रकृति, मामले की लंबी अवधि की लंबितता, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की प्रकृति, निपटान के लिए निगम द्वारा की गई पेशकश और आवेदक को विभिन्न मदों के अन्तर्गत देय राशि आदि को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की है।

23. हमने दिनांक 04.05.1999 के आदेश के अनुसार आवेदक को विभिन्न मदों के अन्तर्गत देय राशि की भी गणना तो पूरी राशि पर 04.05.1999 से उचित दर पर की है, जैसे कि मासिक वेतन, उसका बकाया, अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी, बोनस, ब्याज, यदि देय हो ।

24. मामले की जांच करने और उपरोक्त कई प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद, हमारा मानना है कि आवेदक निगम से कुल 7,50,000/– रुपये (सात लाख पचास हजार) का दावा करने का हकदार है । दिनांक 04.05.1999 के आदेश के अनुसार निगम के साथ उसके रोजगार विवाद से उत्पन्न उसके सभी दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान हो गया है।

25. दूसरे शब्दों में, निगम आवेदक (कर्मचारी) को निगम के साथ उसके रोजगार विवाद के संबंध में आवेदक के सभी मौद्रिक दावों के लिए 7,50,000/– (सात लाख पचास हजार) रुपये की राशि का भुगतान करेगा। समझौता।

26. बार में कहा गया है कि आवेदक का निगम क्वार्टर पर कब्जा है, जो उसे उसके रोजगार के आधार पर आवंटित किया गया था। यदि ऐसा है, तो आवेदक बाहरी सीमा के रूप में इस आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर क्वार्टर खाली कर देगा।

27. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवेदक द्वारा क्वार्टर खाली करने पर, निगम तदनुसार आवेदक को क्वार्टर खाली करने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 7,50,000/– रुपये का भुगतान करेगा।

28. इन निर्देशों के साथ, अवमानना याचिका का निपटारा किया जाता है। नियम निसी, यदि जारी किया जाता है, तो कथित अवमाननाकर्ता के विरुद्ध बरी कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे याचिका निस्तारित।

Name of Judicial Officer - RAM MURTI YADAV, ADDITIONAL DISTRICT JUDGE, AZAMGARH (RETIRED)